न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 213/2021 राजस्व वाद

1. धन्ना लाल पुत्र श्री गणेश जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी– चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
   –– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय जी, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चिताम्बा
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब, करेड़ा तहसील कार्यालय करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश सिह तंवर –अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय :: दिनांक– 29.11.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 136 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात वाके ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की सरहद मे स्थित है। जिसके आराजी नम्बर 3728/1588 रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि स्थित है, उक्त आराजी नम्बर कायम करके कृषि काश्त मे उपयोग व उपभोग मे ली जा रही है। प्रार्थी की कृषि आराजियात मे जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 01 के आराजी नम्बर 2104 है, जो कि चारागाह भूमि दर्ज है और प्रार्थी वर्षो से इसी आराजियात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट प्रार्थी की आराजी नम्बर 2104 के बजाय 3728/1588 के सटमा बतायी गयी है, जबकि प्रार्थी का मूल रूप से कब्जा वर्षो से आराजी नंबर 2104 मे ही है व इसी कब्जे अनुसार प्रार्थी उक्त आराजियात पर कृषि काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त नजरी नक्शे मे पता किया तो जानकारी हुई कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मे तरमीम 2105 के सटमा नही होकर आराजी नम्बर 3728/1588 के सटमा कर दी गयी। अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए मौजा ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के [illegible] आराजी नम्बर 3728/1588 को मौके पर कब्जे अनुसार आराजी नम्बर 2105 के सटमा तरमीम कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:10:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी। जवाब पेरोकार सरकार पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी जवाब एवं मौके रिपॉर्ट तहसीलदार करेडा का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कब्जे अनुसार तरमीम हेतु निवेदन किया गया।

पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट अनुसार कब्जे अनुसार तरमीम होने पक्षकारो के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा । अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णित कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाना व भूमि राजस्व जमाबंदी मे दर्ज कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर मौजा ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के वर्तमान आराजी नम्बर 3728/1588 को मौके पर कब्जे अनुसार आराजी नम्बर 2105 के सटमा तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय कब्जा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:10:11 IST
Reason: SelfAttested